

27-01-23

प्रकरण आज वी.सी. के माध्यम से सुनवाई में लिया गया।

आवेदक द्वारा श्री सौरभ अग्रवाल अधि.।

अनावेदकगण द्वारा श्री शुक्ला अधि.।

प्रकरण आज अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन वास्ते स्थल निरीक्षण पर आदेश हेतु नियत है। इस आदेश द्वारा उक्त आवेदन का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा माननीय रेरा अथॉरिटी द्वारा पारित आदेश का पालन कर दिया है किन्तु आवेदक सोसायटी द्वारा इससे इन्कार किया गया है। अतः इस संबंध में कमीशनर की नियुक्ति कर स्थल निरीक्षण कराया जाना आवश्यक है।

आवेदक द्वारा प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत कर नगर पालिका निगम कोरबा द्वारा जारी पत्र के आधार पर यह आपत्ति की है कि अनावेदकगण द्वारा व्यतिक्रम जारी है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत आवेदन पूर्णतः औचित्यहीन है। अतः आवेदन

प्रकरण क्रमांक : 02/2022

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : *आलेखरु उलगाण सकिरि ७/१ योगेश परेल*

CGRERA-P-Exe-10-PRO-2022-01425

निरस्त कर अनावेदकगण पर समुचित शास्ति अधिरोपित की जावे।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि माननीय प्राधिकरण द्वारा मूल प्रकरण क्रमांक M-PRO-2021-01425 में दिनांक 30.11.2021 को निम्नानुसार आदेशित पारित किया गया था-

“अनावेदकगण, दो माह के भीतर संपूर्ण कर्मकौशल के साथ व गुणवत्तायुक्त रीति से विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 में उल्लेखित अनुपलब्ध सुविधाओं/सुविधाओं की कमी को पूर्ण करना/निराकृत करना सुनिश्चित करें।”

माननीय प्राधिकरण के उपरोक्त आदेश के पालन अथवा अपालन की स्थिति का निर्धारण किये जाने हेतु स्थल निरीक्षण कराया जाना आवश्यक है। अतः आवेदन युक्तियुक्त होने से इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि कमीशनर का शुल्क अनावेदक द्वारा वहन किया जायेगा। रेरा द्वारा अनुमोदित श्री मनीष पिल्लिवार, पिल्लिवार एण्ड एसोसिएट्स 25, साउथ एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।

अनावेदक द्वारा निर्धारित देय कमीशनर शुल्क की राशि रेरा के मिसलेनियस अकाउण्ट में जमा कर पावती की प्रति आगामी तिथि पर प्रस्तुत करे ताकि रिट ऑफ कमीशन जारी की जा सके।

प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु 16/02/2023

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर